इइ

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

285/19/प्रा-पत्र लालचन्द बनाम मोहन वगै.

तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

2019/00285

श्री सुरेन्द्र शर्मा एड. श्री

लाल चन्द बनाम मोहन वगैरह

10.10.19 प्रार्थना पत्र बाजदायरी पेश। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, जो लौटकर नहीं आये, जबकि अप्रार्थीगण को अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हुई की जानकारी थी। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने के बावजूद भी नोटिस तामील नहीं हो रहे है एवं अप्रार्थीगण को अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज होने के पश्चात प्रार्थना पत्र बाजदायरी प्रस्तुत करने की जानकारी हैं के बावजूद भी अप्रार्थीगण अपनी उपस्थिति नहीं दे रहे है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र बाजदायरी को न्यायहित में स्वीकार कर अपील को पुनः नम्बर पर लिये जानेके आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक प्रार्थीगण के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 0 सपठित धारा 151 जा.दी. पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित में प्रार्थना पत्र बाजदायरी में हुए डीले को कन्डोन करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 जा.दी. सपठित धारा 151 जा.दी. को स्वीकार कर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर करना उचित समझते है किन्तु अभिभाषक प्रार्थीगण, अपील में रेस्पोडेन्टस की तलबी हेतु नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एड़ी आवश्यक रूप से पेश करेगें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 जा.दी. सपठित धारा 151 जा.दी. को न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर कैम्प दूदू